

विद्युत वितरण खण्ड

प्राप्तिशाली विद्युत वितरण निगम लिंग

राजापुर चित्रकूट

1148

लिंगनाम

लिंग

07.06.2023

लिंग 1

लिंग - निर्धारित वस्तु का प्राप्ति नाम होता है।

	POOL BIRANJAN	लिंग वा.	JHUNDA PAL	वा.	ARCHA BARETHI	लिंग	PAHADI
1. आपको अपेक्षा एवं दिनांक	05.06.2023-10082844477				हे सांदर्भ में आपको सुनिश्चित किया जाता है कि आपको वस्तु के लिए की उपलब्ध कर रही नहीं है।		
2. निवासी वस्तु के लिए लिंगनाम में 120 लिंग की स्थिकता दिनांक							05.06.2023
3. राजिर करेवान चार्जेज रकम					114423.00		
4. रकम					4957.00		
5. रकम					2400.00	प्रथम वस्तु रु. 100.00	
6. रकम					2921.00		
7. आपको वस्तु को करेवान देने हेतु रु.					0.00		
8. आपको करेवान के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 फीटर से अधिक लाइन पड़ने के कारण रु.					124301.00		
9. आपको करेवान के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 फीटर से अधिक लाइन पड़ने के कारण रु.						का अधिक धन जमा करना छार इस तद से रु.	
10. आपको आपके करेवान के लिए स्वयं विद्युत मंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की दुलई करनी होगी समान दुलई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्णय							
11. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सिमेन्ट का प्रबन्ध करना पड़ता है अतः उसी में से उपयुक्त उत्तमों की आवश्यक नाप्रांत आपनी लाइन व							
12. करेवान हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।							
नोट (1) कठर्स 6.7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके हारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वह शत							
(2) टीमेन्ट बालू तथा गिर्ही की आवश्यकता केवल अखिरी खम्मे तथा ऐगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा							
प्रति खम्मा	स्टीमेन्ट 0.6 बोरी बालू 3 घन फीट गिर्ही 6 घन फीट						
प्रति स्टेशन	स्टीमेन्ट 0.3 बोरी बालू 1.5 घन फीट गिर्ही 3 घन फीट						
(3) आपको कार्ड करने के लिए	मजदूरी की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12						
हजे दोपहर तक दो बारहों सहित इस कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट रख हस्ताक्षर करें।							
1. नाम जुड़ेशियल 100/-रु. का जनरल स्टाम्प तथा 1/-रु. का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)							
2. उपर लिखी राशि जमा करने वाले पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज के रूपमें को रसीद की छायाप्रति 1.3.							
एक फोटो प्रमाणित	4. निवास प्रमाण-पत्र						

आपके करेवान को दिजली तभी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पुरा होगा और दो०५ल०फ०८० और भीटर डिकलेशन फार्म (भीटर सुधारने के लिए देजरी चालान राफित) अधिकारी/जूनियर इन्जीनियर के अधिकारी के पास जमा कर दें तथा उनकी राहीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको करेवान की जरूरत नहीं और प्रकारण सुल्त 100/- रु. भी जमा दी जायेगा।

पत्राक: प्रतिलिपि - आवश्यक कार्यालयी हेतु ग्रेवित।

1. सहायक अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड
2. खण्ड विकास अधिकारी
3. जिला विकास अधिकारी
4. अनुबन्ध लिपिक विभाग खण्ड

अधिकारी अधिकारी

अधिकारी अधिकारी

अधिकारी

अधिकारी